न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
131/2020	19.08.2020	19.01.2021

उनवान

1 रामप्रताप पुत्र प्रभू जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: प्रार्थी

बनाम

1 रोहिताश पुत्र प्रभू जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3 श्रीमान उप पंजियक महोदय अलवर राज0।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0

उपस्थिति :– 1– श्री सतीश कुमार यादव, प्रार्थी वकील

2– श्री अशोक चौधरी, वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांक :– 19.01.2021

1. प्रार्थिया का सारतः प्रार्थना पत्र रहा कि :–

यह है कि विवादित आराजी हाल खसर नम्बर 328 रकबा 0.32 है0, 386 रकबा 0.33 है0, 834 रकबा 0.62 है0, 835 रकबा 0.63 है0 837 रकबा 0.63 है0, 1021/992 रकबा 0.05 है0 में मिन प्रार्थी का हिस्सा 1/2 भाग [illegible] रिकोर्ड है। विवादित आराजी के राजस्व रिकोंड में मिन प्रार्थी व अप्रार्थी [illegible] नाम का अंकन सामलात में दर्ज हो रहा है तथा मौके पर [illegible] अपने हिस्सेनुसार आराजी पर काबिज होकर सामलात [illegible] करते चले [illegible] है। विवादित आराजी का आज दिनांक तक विधिक [illegible] आराजी खसरा नबर 834, 837 सडक से लगती हुई [illegible] का कई बार गांव के मौजिज व्यक्तियों पंचा के मध्य बहामी बटवारा हो चुका है लेकिन अप्रार्थी स0 1 बार–बार अपने इरादो से बल जाता है तथा कभी आराजी का लम्बा व कभी आराजी का टेडा बटवारा करने को कहता है तथ्सस अपनी बात से बार– बार मुकर जाता है, उक्त खसरा नम्बर को बाहने जोतने लग जाता है मिन प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:10:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

आराजी में फसल काश्त नही करने देता ना ही आराजी का उपयोग उपभोग करने देता है। विवादित आराजी के राजस्व रिर्कोड मे मिन प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज होने व सामलात में ही काश्त होने का बेजा फायदा उठाकर अप्रार्थी स0 1 विवादित आराजी का बिना विधिक तकासमा कराये ही आराजी पर निर्माण व बेचान करना चाहता है, तथा मिन प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल करना चाहता है, जबकी सामलाती आराजी में प्रत्येक हिस्सेदार का इंच इंच पर कब्जा होनो कानून की धारण होती है, इसलिए मिन प्रार्थी का अब अप्रार्थी स0 1 के साथ अब सामलात में काश्त करना सम्भव नही रहा है। इसलिए मिन प्रार्थी अपने हिस्से दर्ज राजस्व रिर्कोड का तकासमा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस कराने के अधिकारी है। इसलिए दावा तकासमा पेश किया जाना लाजिमी आया है।

प्रार्थी के द्वारा अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थी को ताः फेसला दावा स्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी सं0 1 विवादित आराजी खसरा नम्बर 328 रकबा 0.32 है0, 386 रकबा 0.33 है0, 834 रकबा 0.62 है0, 835 रकबा 0.63 है0 837 रकबा 0.63 है0, 1021/992 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर को बिला विधिक तकासमा कही रहन, बैय, हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे, ना ही बिला तकासमा कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नही करे, ना ही मिन प्रार्थी को आराजी से बेदखल कर कब्जा करे, व अप्राथी सं0 2 व 3 को पाबन्द किया जावे कि वो आराजी के कोई दस्तावेजात पंजिबद्व नही करे, व मौके एव राजस्व रिर्कोड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए समन तलब किया गया। बाद सूचना अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता दिनांक 21.11.2020 को जवाब पेश किया।
बहस सुनी गई।

प्रार्थी के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 व सपठित धारा 151 जा0 दी0 पर बहस सुनकर मनन किया गया। दौराने वकील वादी ने अपनी बहस में कहा की वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश को सम्पुठ कर दिया जावे। दौराने वकील प्रतिवादी ने कहा की आराजी का अर्सा दराज से यानि दिनांक 15.09.2004 से बहामी बंटवारा हो रहा है तथा बहामी बंटवारा अनुसार ही काबिज है तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व पेश अपील सं 71/2019 अनुवान रामप्रताप बनाम रोहिताश में दर्ज किया है कि आराजी का बहामी बंटवारा दिनांक 15.09.2004 से हो रहा है तथा मिन अप्रार्थी का पूर्व में खसरा नम्बर 837 में विधुत कनैक्शन था, लेकिन पानी की कमी आने के कारण मिन अप्रार्थी ने अपने हिस्से की आरजी खसरा नम्बर 834 में दुसरी बोरिग कर, खसरा नम्बर 837 में जारी विधुत कनैक्शन को शिफट करांना चाहता है। स्थगन आदेश खारीज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:10:50 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को उपरोक्त विवेचन के आधार पर साबित पाए जाने पर आराजी खसरा विवादित आराजी खसरा नम्बर 328 रकबा 0.32 है0, 386 रकबा 0.33 है0, 834 रकबा 0.62 है0, 835 रकबा 0.63 है0 837 रकबा 0.63 है0, 1021/992 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर में जारी स्थगन आदेश दिनांक 19.08.2020 को मूल वाद के निर्णय तक यथावत

उपखण्डाधिकारी
मण्डावर (अलवर) राज०

रखना उचित समझता है तथा अप्रार्थीगण को हु0ई0दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजी को दीगर जगह रहन, बैय ना करें, ना कोई निर्माण कार्य करें, मौके की यथास्थिति बनाएं रखें।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 11:10:50 IST
Reason: SelfAttested